

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ **336** /2026-27 दिनांक **27** अगस्त, 2026
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के आधार पर जारी उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 06.07.2026 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 टी0सी0-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा जारी समय सारिणी एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 13 जुलाई संशोधित पत्र 14 जुलाई, 2026 के आधार पर मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त **स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(एक)** एवं शासनादेश संख्या-400683 दिनांक 01 जून, 2026 (**गम्भीर रोग से रोगग्रस्त/दिव्यांग कार्मिक, कार्मिक के पति-पत्नी की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता, कार्मिक के माता-पिता की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता, विवाहित/विधवा महिला कार्मिकों के सास-ससुर की बीमारी/दिव्यांगता एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता/अक्षमता के आधार पर अनुरोध**) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि	आवेदन का आधार	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	रेखा जखवाल स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0क0उ0मा0वि0 गुमटी, अल्मोड़ा	12-05-2012	स्वयं की दिव्यांगता/ बीमारी	रा0क0उ0मा0वि0 कासमपुर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
2.	मोनिका स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0उ0मा0वि0 बांगीधार, अल्मोड़ा	02-11-2023	स्वयं की दिव्यांगता/ बीमारी	रा0क0उ0मा0वि0 बावरखेड़ा, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
3.	निशा रानी स0अ0एल0टी0	कला	रा0बा0इ0का0 शक्तिफार्म, ऊ.सिं.न.	08-11-2011	पति की गम्भीर बीमारी	रा0क0इ0का0 पन्तनगर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
4.	विमला आर्या स0अ0एल0टी0	हिंदी	रा0क0इ0का0 भीमताल, नैनीताल	02-07-2015	पति की गम्भीर बीमारी	रा0क0इ0का0 धौलाखेड़ा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
5.	प्रमिला विनय स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0उ0मा0वि0 ध्याड़ी, अल्मोड़ा।	30-07-2015	पति की दिव्यांगता	रा0क0उ0मा0वि0 राजपुरा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
6.	सन्तोष कुमारी स0अ0एल0टी0	गृ0 वि0	रा0बा0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा	14-06-2016	पति की दिव्यांगता	रा0क0इ0का0 सुल्तानपुर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
7.	शालिनी शर्मा स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	आ0रा0बा0इ0का0 पन्तनगर, उ0सि0न0	02-07-2019	पति की गम्भीर बीमारी	रा0क0इ0का0 फाजलपुर महरौला, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
8.	नीलिमा पंत स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 होराली, बागेश्वर	03-07-2015	माता-पिता की गम्भीर बीमारी	रा0क0उ0मा0वि0 राजपुरा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
9.	गीता वर्मा स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0क0उ0मा0वि0 होराली, बागेश्वर	16-12-2011	ससुर की दिव्यांगता	रा0क0उ0मा0वि0 हिम्मतपुर चौमवाल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
10.	डॉ निशा जोशी स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0उ0मा0वि0 चनौदा, अल्मोड़ा	05-11-2011	पुत्र की गम्भीर बीमारी	रा0क0इ0का0 बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

क्रमशः पृष्ठ 2.....

11.	श्रीमती अंजली सक्सेना स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0क0उ0मा0वि0 सिनौड़ा, अल्मोड़ा	23-08-2015	पुत्री की दिव्यांगता	रा0क0उ0मा0वि0 हिम्मतपुर चौमवाल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
12.	दीपिका हयांकी दुगताल स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 दन्या, अल्मोड़ा	19-05-2016	पुत्री की दिव्यांगता	रा0क0उ0मा0वि0 पीपलपोखरा हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
13.	वन्दना शर्मा स0अ0एल0टी0	कला	रा0बा0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा	27-05-2018	पुत्र की गम्भीर बीमारी	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
14.	श्रीमती ललिता साह स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	01-08-2024	पुत्री की गम्भीर बीमारी	रा0क0उ0मा0वि0 फूलचौड़ हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- II- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक का होगा।
- III- यदि स्थानान्तरण हेतु किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा गलत अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हों तो गलत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/

3222-36

/2026-27 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के आधार पर जारी उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 06.07.2026 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 टी0सी0-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा जारी समय सारिणी एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 13 जुलाई संशोधित पत्र 14 जुलाई, 2026 के आधार पर मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त **स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(दो) (मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता-पिता द्वारा अनुरोध)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि	आवेदन का अधार	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्रीमती कविता परिहार नैथानी स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	26.05.2016	मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता-पिता	रा0क0इ0का0 चोरगलिया हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- II- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक का होगा।
- III- यदि स्थानान्तरण हेतु किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा गलत अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हों तो गलत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ **3237-47** /2026-27 दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 04— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
05— मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06— वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
11— प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ **338** /2026-27 दिनांक **27** अगस्त, 2026
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के आधार पर जारी उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 06.07.2026 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 टी0सी0-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा जारी समय सारिणी एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 13 जुलाई संशोधित पत्र 14 जुलाई, 2026 के आधार पर मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त **स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(तीन) (सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि	आवेदन का आधार	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्रीमती दीप्ति पुनेठा स0अ0एल0टी0	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 अल्मोड़ा	09-10-2010	सेवारत पति/पत्नी जिनके पुत्र/पुत्री विकलांग हों	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- II- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक का होगा।
- III- यदि स्थानान्तरण हेतु किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा गलत अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हों तो गलत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ **3248-57** /2026-27 दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमशः पेज 2.....

- 04— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
05— मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06— वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
11— प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12— कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के आधार पर जारी उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 06.07.2026 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 टी0सी0-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा जारी समय सारिणी एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 13 जुलाई संशोधित पत्र 14 जुलाई, 2026 के आधार पर मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त **स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(चार) (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
1.	श्रीमती सुकीर्ति विनोद स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	गं0ग0रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	09-09-2005	रा0क0इ0का0 पन्तनगर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
2.	लता मुरारी स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत	13-07-2006	रा0क0इ0का0 भीमताल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3.	श्रीमती मीनाक्षी जोशी स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	26-03-2008	रा0क0इ0का0 किशनपुर, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4.	श्रीमती जमुना मेहता स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 डीडीहाट, पिथौरागढ़	05-03-2011	रा0क0इ0का0 ऐँचोली, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
5.	श्रीमती शीला जोहार स0अ0एल0टी0	कला	रा0बा0इ0का0 टनकपुर चम्पावत	13-12-2011	रा0क0इ0का0 खटीमा उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
6.	श्रीमती ममता जोशी स0अ0एल0टी0	विज्ञान	गं0ग0रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	19-05-2016	रा0क0उ0मा0वि0 राजपुरा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
7.	सविता तिवारी स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0क0उ0मा0वि0 ध्याड़ी अल्मोड़ा	26-05-2016	रा0क0इ0का0 भवाली, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
8.	श्रीमती नीलम तिरुवा स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 काण्डा, बागेश्वर	26-05-2016	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
9.	हिमांशी मेहता स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 नमजला, पिथौरागढ़	11-08-2016	रा0क0उ0मा0वि0 विषाड विण, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
10.	श्रीमती नीतू पुनेठा पाठक स0अ0एल0टी0	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 बेरीनाग, पिथौरागढ़	05-11-2016	रा0क0इ0का0 थल, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
11.	सुधा राठी स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 पन्तनगर, उ0सि0न0	25-10-2017	रा0क0इ0का0 फाजलपुर महरौला उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
12.	श्रीमती सन्तोष अधिकारी स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	29-10-2018	रा0क0इ0का0 कोटाबाग, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

13.	श्रीमती बबीता चौहान स0अ0एल0टी0	संस्कृत	रा0बा0इ0का0 काण्डा बागेश्वर	09-01-2019	रा0क0इ0का0 काशीपुर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
14.	श्रीमती यशोदा आर्या स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 दौलाघट, अल्मोड़ा	09-01-2019	रा0क0इ0का0 भीमताल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
15.	श्रीमती मनीषा टम्टा स0अ0एल0टी0	संस्कृत	रा0बा0इ0का0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	07-01-2022	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
16.	मोनिका स0अ0एल0टी0	गृह विज्ञान	रा0क0इ0का0 बाड़ेछीना, अल्मोड़ा	27-08-2022	रा0क0इ0का0 काशीपुर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
17.	प्रियंका कन्याल स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0क0उ0मा0वि0 चनौदा, अल्मोड़ा	24-03-2023	रा0क0इ0का0 फाजलपुर महरौला उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
18.	तरुणा जोशी स0अ0एल0टी0	गणित	रा0बा0इ0का0 बाजपुर, उ0सि0न0	28-06-2023	रा0क0उ0मा0वि0 बावरखेड़ा, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
19.	नीलम रावत स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 चनौदा, अल्मोड़ा	11-07-2023	रा0क0इ0का0 बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
20.	आशा देवी चन्द स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0इ0का0 चमदेवल, चम्पावत	06-08-2024	रा0क0उ0मा0वि0 रामनगर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
21.	श्रीमती पूनम लता स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 बांगीधार, अल्मोड़ा	24-08-2024	रा0क0उ0मा0वि0 बावरखेड़ा, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
22.	श्रीमती रीता स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	10-04-2025	रा0क0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
23.	रेखा पन्त स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 मासी, अल्मोड़ा	12-04-2025	रा0क0इ0का0 अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- II- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक का होगा।
- III- यदि स्थानान्तरण हेतु किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा गलत अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हों तो गलत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।


 (गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0 / सेवाएं-3क(2) / अराज0 /

3258-67

/ 2026-27 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

क्रमशः पृष्ठ 3.....

- 06— वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11— प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12— कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के आधार पर जारी उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 06.07.2026 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 टी0सी0-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा जारी समय सारिणी एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 13 जुलाई संशोधित पत्र 14 जुलाई, 2026 के आधार पर मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त **स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(पाँच) (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि	आवेदन का अधार	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
01	हेमा जोशी स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत	26-05-2016	विधवा	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती दीप्ति पन्त स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	10-04-2025	विधवा	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
03	सोनिया चौहान स0अ0एल0टी0	गणित	रा0बा0इ0का0 धारचूला, पिथौरागढ़	02-11-2011	तलाकशुदा	रा0क0इ0का0 सुल्तानपुर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
04	आँचल स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0बा0इ0का0 बेरीनाग, पिथौरागढ़	25-03-2023	तलाकशुदा	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
05	श्रीमती जीवन्ती खाती स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	02-07-2019	वरिष्ठ कार्मिक	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
06	श्रीमती हरविंदर कौर स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 भतरौजखान, अल्मोडा	27-07-2022	वरिष्ठ कार्मिक	रा0क0इ0का0 काशीपुर, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
07	श्रीमती अनीता सिंह स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0क0इ0का0 देवायल सल्ट, अल्मोडा	28-07-2022	वरिष्ठ कार्मिक	रा0क0उ0मा0वि0 राजपुर, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
08	श्रीमती बीना शैल स0अ0एल0टी0	संगीत	रा0बा0इ0का0 खेतीखान, चम्पावत	09-09-2022	वरिष्ठ कार्मिक	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
09	श्रीमती उषा उपाध्याय	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 तल्ला रामगढ़ नैनीताल	06-08-2024	वरिष्ठ कार्मिक	रा0क0इ0का0 दिनेशपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

1- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः पेज 2.....

- II— उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक का होगा।
- III— यदि स्थानान्तरण हेतु किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा गलत अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हों तो गलत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
- IV— स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/

3268-77

/2026-27 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05— मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11— प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल